हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), कोर 7ए, हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24648160 फैक्स : 011-24625308 Visit us at : www.hudco.org सीआईएन : L74899DL1970GOI005276 जी.एस.टी : 07AAACH0632A1ZF
Housing & Urban Development Corporation Ltd., (A Govt. of India Enterprise), Core-7A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Telephone : 011-24648160 Fax : 011-24625308 Visit us at : www.hudco.org CIN : L74899DL1970GOI005276 GST : 07AAACH0632A1ZF

HUDCO/CS/SE/2019 16th May, 2019

Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400001
Scrip Code- 540530

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051
NSE Symbol- HUDCO

Sub: Newspaper Publication.

Dear Sir/ Ma'am,

The copy of Notice of meeting of Board of Directors of the Company proposed to be held on Friday, 24th May, 2019 to consider, approve and to take on record the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) for quarter & year ended 31st March, 2019 and to recommend payment of final dividend to the shareholders for the financial year 2018-19, if any, subject to the approval of the shareholders in the Annual General Meeting, as published in the Newspapers is enclosed herewith for your information and record.

Thanking you,

Yours sincerely
For **Housing and Urban Development Corporation Limited**

Harish Kumar Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606
Regd. Office: "ESVIN House "
13, Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600096.
Phone : 044-24960335 / 39279318, Fax : 044-24961785
Email : investor@highenergyltd.com
Web: www.highenergy.co.in

NOTICE

A Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 25th May 2019 to consider *inter alia*, the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March 2019.

For **HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,**
S.V. RAJU
Company Secretary

Place : Chennai 96
Date : 15.05.2019

FRESHTROP FRUITS LTD

Registered Office: A-603, Shapath IV, Opp. Karnavati Club, S.G. Road, Ahmedabad-380015
CIN: L15400GJ1992PLC018365 | Website: www.freshtrop.com | Email: secretarial@freshtrop.com

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 28th May 2019 to inter alia, transact the following business:

1. To consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2019.
2. Any other business with the permission of chair.

The said Notice is also available at Company's website www.freshtrop.com and on the website of stock exchanges at www.bseindia.com.

By order of the Board
FOR, FRESHTROP FRUITS LIMITED
Sd/-
Ashok Motiani
Chairman & Managing Director
DIN No. : 00124470

Date : 16-05-2019
Place : Ahmedabad

RISHI TECHTEX LTD.

CIN: L28129MH1984PLC032008
612 V.K.Indl.Estate,10/14 Pais Street, Byculla (W) Mumbai 400 011
Email: info@rishitechtex.com Web: www.rishitechtex.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and any amendments thereof a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, May 28, 2019, inter alia, to consider, approve and take on record the audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2019.

The said notice can be accessed on the Company's website at www.rishitechtex.com and also on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

For RISHI TECHTEX LTD.
Gauri Gangal
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : May 15, 2019.

Rameshwar Media

REC Limited (A Government of India Enterprise)

(Formerly Rural Electrification Corporation Limited)
CIN: L40101DL1969GOI005095

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of REC Limited is scheduled to be held on **Friday, May 24, 2019** *inter-alia* to consider and approve the Annual Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the year ended March 31, 2019.

Further, in terms of provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 read with clarification issued by Stock Exchanges dated April 2, 2019, the Trading Window for dealing in the equity shares & listed debt securities of the Company is closed for all designated employees & their immediate relatives and other connected persons, on account of aforesaid results, for the period from April 4, 2019 to May 26, 2019 (both days inclusive).

This information is also available on the website of the Company i.e. **www.recindia.com** and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**.

For REC Limited
Sd/-
(J.S Amitabh)
GM & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: May 15, 2019

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel.: 91-11-24365161, Fax: 91-11-24360644
E-mail: complianceofficer@recl.in, Website: www.recindia.com

Housing & Urban Development Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GST No.: 07AAACH0632A1ZF
Regd. Office : HUDCO Bhawan, Core – 7A, India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel : (EPABX) 011-24649610, 24648196
Fax No.: +91-(011) 24625308, E-mail: cswhudco@hudco.org, Website: www.hudco.org

Notice

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Housing and Urban Development Corporation Limited will be held on Friday, the 24th May, 2019, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for quarter & year ended 31st March, 2019 and to recommend the payment of final dividend to the shareholders for the financial year 2018-19, if any, subject to the approval of the shareholders in the Annual General Meeting.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, the trading window for dealing in the Securities of the Company is already closed from 5th April, 2019 and the same will re-open on 27th May, 2019.

The notice is also available on the following website(s): **www.hudco.org, www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**

For Housing and Urban Development Corporation Limited
Sd/-
Harish Kumar Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 16.05.2019
Place: New Delhi

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Registered Office: B- 16, Ground Floor, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035
Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1989PLC034995
Tel: 91-11-27156381/82 **Telefax:** 91-11-27156383,
E-mail: investors@cantabilinternational.com
Website: www.cantabilinternational.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors' of the Company is scheduled to be held on **Thursday, May 23rd, 2019** at 12:30 P.M at the Registered office of the Company situated at B-16, Lawrence Road,

Our Company was originally incorporated at Kochi, Kerala as a private limited c
fresh certificate of incorporation dated May 16, 2007, our name was changed to
Limited" and received a fresh certificate of incorporation consequent to change
office of our Company, see section titled **"History and Main Objects"** on page

Registered and Corporate Of
Telephone

Telephone

PROMOTERS: MR. GEORGE MUTHOOT

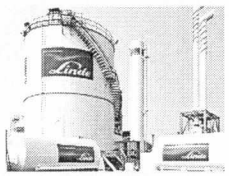
लिंड इंडिया का शेयर उछला

खुली पेशकश की हो रही जांच

समी मोडक
मुंबई, 15 मई

लिंड इंडिया की खुली पेशकश में अड़चन

- मूल कंपनी बीओसी समूह में स्वामित्व में हुए बदलाव के चलते खुली पेशकश का मामला बना है
- खुली पेशकश का मामला पिछले साल अक्टूबर में बन गया था
- असूचीबद्धता की कोशिश नाकाम रही क्योंकि रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिये कथित तौर पर तय कीमत 2,025 रुपये थी, जो पिछले छह महीने के औसत बंद भाव का चार गुना है
- कंपनी ने असूचीबद्धता की बोली के लिए फ्लोर प्राइस 428.5 रुपये तय की थी



बहुराष्ट्रीय कंपनी स्पेशियलिटी गैस डिस्ट्रिब्यूटर लिंड इंडिया का शेयर उस घोषणा के बाद से करीब 15 फीसदी उछल गया, जिसमें कंपनी ने कहा था कि बाजार नियामक सेबी ने उसकी खुली पेशकश को उचित कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति को है। मूल कंपनी बीओसी समूह में स्वामित्व में हुए बदलाव के चलते खुली पेशकश का मामला बना है।

खुली पेशकश का मामला पिछले साल अक्टूबर में बन गया था। हालांकि लिंड इंडिया में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 75 फीसदी होने के चलते प्रवर्तकों ने 25 फीसदी शेयरधारिता के अधिग्रहण के जरिये कंपनी को असूचीबद्ध कराने का फैसला लिया।

हालांकि असूचीबद्धता की कोशिश नाकाम रही क्योंकि रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिये कथित तौर पर तय कीमत 2,025 रुपये थी, जो पिछले छह महीने के औसत बंद भाव का चार गुना है। कंपनी ने असूचीबद्धता की बोली के लिए फ्लोर प्राइस 428.5 रुपये तय की थी।

फरवरी में लिंड इंडिया के प्रवर्तकों ने ऐलान किया था कि वे असूचीबद्धता की बोली वापस ले रहे हैं और इसके बजाय सेबी के पास नई खुली पेशकश का मसौदा जमा कराएंगे। लिंड इंडिया का शेयर जनवरी और फरवरी में 50 फीसदी तक टूट गया जब प्रवर्तकों ने असूचीबद्धता की कीमत खारिज कर दी।

नवंबर में लिंड इंडिया ने खुली पेशकश की कीमत 276 रुपये प्रति शेयर तय की थी, जो ईवाई मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज की तरफ से जारी मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित था। फरवरी में जब कंपनी ने खुली पेशकश के लिए आवेदन किया तो इसकी कीमत 328 रुपये तय की। यह कीमत हालांकि पिछली कीमत के मुकाबले ज्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा कीमत व असूचीबद्धता के लिए तय फ्लोर प्राइस के मुकाबले यह कम थी। जिसके बाद बाजार नियामक ने कदम बढ़ाया।

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) ने एक नोट में कहा है कि लिंड इंडिया में कीमतों से जुड़ी असंगति है। एसईएस ने कहा, असूचीबद्धता के प्रस्ताव के तहत प्रवर्तकों की तरफ तय कीमत 428.50 रुपये स्वतंत्र आकलन पर आधारित था, जो खुली पेशकश में पेश की गई कीमत 276.09 रुपये के मुकाबले 1.5 गुने से ज्यादा है और 276.09 रुपये भी अलग स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता ने तय किए हैं।

एसईएस की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया के लिए लिंड इंडिया को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि लिंड इंडिया सेबी के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की तरफ से तय कीमत को सेट के सामने चुनौती दे सकती है।

बहुराष्ट्रीय वाहन कलपुर्जा कंपनी ने मैट का दरवाजा तब खटखटाया था जब सेबी ने कंपनी की खुली पेशकश की कीमत बढ़ाने का निर्देश दिया था।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि निवेशकों को कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए, लिंडा इंडिया के शेयर में सौदा करना चाहिए। एक विश्लेषक ने कहा, जिन्हें खुली पेशकश की कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद है वे निराश हो सकते हैं क्योंकि ऐसे मामलों पर सामान्य तौर पर लंबी कानूनी लड़ाई चलती है।

अदाणी पोर्ट्स, जेट समेत कई फर्मों पर एक्सचेंजों का जुर्माना

एनएसई, बीएसई ने सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ की कार्रवाई

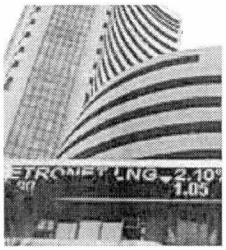
बीएस संवाददाता
मुंबई, 15 मई

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने बुधवार को कई सूचीबद्ध कंपनियों पर जुर्माना लगाया, जिन्होंने सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं किया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा), जेट एयरवेज और आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मायल व एसजेवीएन समेत एक दर्जन से ज्यादा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं।

एक्सचेंजों ने सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में इन फर्मों पर 100 रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि जुर्माने की रकम हालांकि कम है, लेकिन यह सूचीबद्ध कंपनियों को सूचीबद्धता नियमों के अनुपालन के मामले में ठोस संदेश देगा।

सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से नियमों का अनुपालन न किए जाने के विभिन्न मामलों में महिला निदेशकों की नियुक्ति न करना, तय तारीख पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट जमा न कराना, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तारीख के खुलासे में देरी या इसका खुलासा न करना, सालाना रिपोर्ट व शेयरधारिता पैटर्न के बारे में जानकारी न देना शामिल है।

जुर्माने के अलावा एक्सचेंजों के पास प्रवर्तकों की होल्डिंग को जब्त करने की



शक्ति भी है, अगर प्रवर्तक सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं या फिर तय समय तक जुर्माना चुकाने में नाकाम रहते हैं।

साथ ही अगर कंपनी लगातार दो तिमाहियों तक इसका अनुपालन नहीं करता है तो एक्सचेंज उनकी प्रतिभूतियों के कारोबार पर पाबंदी लगा सकता है या फिर सिर्फ ट्रेड फॉर ट्रेड के आधार पर ही ट्रेडिंग की इजाजत दे सकता है।

एनएसई ने बुधवार को मार्च तिमाही में अनुपालन नहीं करने वाली 250 कंपनियों की सूची जारी की, वहीं बीएसई ने करीब 1,000 कंपनियों की सूची जारी की। बीएसई की तरफ से जारी 515 कंपनियां अनुपालन अधिकारी के तौर पर कंपनी सचिव की नियुक्ति करने में नाकाम रहीं, वहीं 173 कंपनियों के निदेशक मंडल में सदस्यों की संरचना ठीक नहीं थी और 121 कंपनियों ने शेयरधारिता पैटर्न की जानकारी नहीं दी।

{संक्षेप में

यूनियन बैंक जुटाएगा 4,900 करोड़ रुपये

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की योजना मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4,900 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की है ताकि कर्ज की रफ्तार में इजाफा किया जा सके। बैंक के निदेशक मंडल ने बुधवार की बैठक में पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय जी. ने कहा कि बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020 के लिए पूंजी जुटाने की कुल सीमा 6,000 करोड़ रुपये तय की है। इस सीमा के साथ बैंक के पास अतिरिक्त टियर–1 व टियर–2 बॉन्डों के जरिये 4,200 करोड़ रुपये तक जुटाने का विकल्प भी है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2019 में 11.78 फीसदी था और कॉमन इक्विटी टियर–1, 8.02 फीसदी। पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर 28 जून को एजीएम में शेयरधारकों से मंजूरी ली जाएगी। *बीएस*

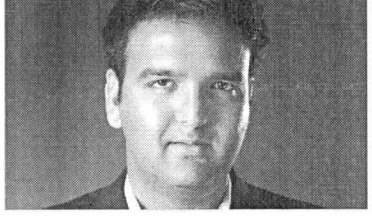
छह नई उड़ानों का परिचालन करेगी इंडिगो

इंडिगो ने कोलकाता को जोड़ने वाली छह नई उड़ानों के परिचालन की घोषणा की है। नई उड़ानों का परिचालन 20 जुलाई से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किफायती एयरलाइन चार जुलाई से दिल्ली–काठमांडू मार्ग पर तीसरी सीधी उड़ान की शुरुआत करेगी। एयरलाइन ने कहा, इंडिगो शिलांग–कोलकाता और रायपुर–कोलकाता मार्ग पर 20 जुलाई से प्रतिदिन सीधी उड़ान के परिचालन करेगी। इन उड़ानों का परिचालन एटीआर–18 विमान के जरिए किया जाएगा। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू यात्री बाजार में 2019 की पहली तिमाही में 44.3 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। *भाषा*

बीएस बातचीत

दो साल में आवासीय क्षेत्र में बढ़ोतरी की गुंजाइश

पीरामल रियल्टी ने बुधवार को ऐलान किया कि कंपनी की बिक्री कैलेंडर वर्ष 2018 में 3,400 करोड़ रुपये की रही, जो साल 2017 की बिक्री के मुकाबले चार गुना ज्यादा है। **राघवेंद्र कामत** को दिए साक्षात्कार में पीरामल रियल्टी के संस्थापक और पीरामल एंटरप्राइजेज के गैर-कार्यकारी निदेशक **आनंद पीरामल** ने कहा कि प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती के बावजूद अगले दशक में कंपनी सालाना 20 फीसदी चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़त हासिल करना चाहेगी। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...



डेवलपर्स के बीच आज पीरामल रियल्टी कहां खड़ी है?
आज बिक्री के लिहाज से मुंबई में हम दूसरे सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर हैं और देश में पांच अग्रणी कंपनियों में शामिल हैं।

ऐसी अवधारणा है कि पीरामल रियल्टी की परियोजनाएं बाजार के मुकाबले महंगी है?
नहीं, ऐसा नहीं है। हम ज्यादा वैल्यू देते हैं व बेहतर गुणवत्ता सामने रखते हैं। हमारी परियोजना बाजार से महंगी नहीं है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि अगर परियोजना सही जगह पर है, ब्रांड अच्छा है और यूनिट अफोर्डेबल है तो इसकी बिक्री अच्छी होती है।

क्या आप नए शहरों या नए क्षेत्रों में उतरेंगे?
आवासीय के लिए नहीं। हो सकता है हम दूसरे शहरों में वाणिज्यिक परियोजना शुरू करें, लेकिन मुंबई में काफी मौके हैं। हम मुंबई में अपनी हर परियोजनाओं में नए टावर पेश कर रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों में मकान की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। ऐसे में क्या वैयक्तिक निवेशक नया मकान खरीद सकता है?
अगर आपके पास तीन साल का नजरिया है तो यह अच्छा निवेश होगा।

आवासीय मकानों की बिक्री में क्या आपको व्यापक सुधार की उम्मीद है?
इसमें सुधार पहले से ही हो रहा है। सही बढ़त अगले दो-तीन सालों में होगी।

मौजूदा रियल एस्टेट बाजार को आप कैसे देखते हैं?
कुल मिलाकर इस क्षेत्र को लेकर मैं आशावादी हूं। ज्यादातर अच्छे डेवलपर बेहतर कर रहे हैं। कई अन्य संघर्ष कर रहे हैं और रातों रात निकल भागने वाले ऑपरेटर इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। 10 अग्रणी डेवलपरों की बाजार की ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। पिछले पांच साल में जमीन की कीमतें 10-15 फीसदी घटी हैं। आज जमीन खरीदने और प्रीपर्दि विकसित करने के लिहाज से अच्छा वक्त है। एनसीएलटी और दिवालिया संहिता तेजी से काम कर रहे हैं।

एनसीएफसी के संकट ने डेवलपरों की फंडिंग पर असर डाला है। आप इसे कैसे देखते हैं?
एनबीएफसी में सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। नकदी अवरुद्ध हुई है। हमें उम्मीद है कि बैंक और रकम झोंकेंगे। एनबीएफसी ने रकम देने के मामले में हाथ सिकोड़े हैं। छोटे डेवलपर संघर्ष कर रहे हैं और इस क्षेत्र में और एकीकरण होगा।

डीएचएफएल के ऋणपत्रों की रेटिंग घटी

अभिजित लेले
मुंबई, 15 मई

रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के ऋणपत्रों की रेटिंग ए से घटाकर बीबीबी (-) कर दी है। कंपनी के पुनर्गठन को लेकर रणनीतिक निवेशक की घोषणा में देर के चलते एजेंसी ने यह कदम उठाया है।

पिछले कुछ महीनों में कंपनी के ऋणपत्र की रेटिंग में काफी गिरावट देखी गई है। फरवरी 2019 में डीएचएफएल के ऋणपत्रों की रेटिंग एएए थी।

केयर ने एक बयान में कहा, डीएचएफएल की लंबी अवधि की रेटिंग में संशोधन में रणनीतिक निवेशक के ऐलान में देरी को ध्यान में रखा गया है। रेटिंग एजेंसी ने पहले प्रबंधन के साथ बातचीत की थी और उम्मीद कर रही थी कि अप्रैल 2019 के आखिर में इस संबंध में घोषणा हो जाएगी।

पिछली समीक्षा में कंपनी ने संकेत दिया था कि वह कारोबार का पुनर्गठन कर लेगी।

इंजीनियर्स इंडिया ने किया करार

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने बुधवार को कहा कि उसने मंगोलिया में 15 लाख टन क्षमता के परिशोधन संयंत्र के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श देने के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि उसने मंगोल रिफाइनरी स्टेट ऑन्ड एलएलसी के साथ करार किया है। करार पर मंगोलिया के खनन एवं भारी उद्योग मंत्री डी सुम्याबजर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। *भाषा*

कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: बी–16, गाइल्ड फ्लार, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110035
कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74899DL1989PLC034995
फोन: 91-11-27156381/82, टेलीफैक्स: 91-11-27156383,
ई–मेल: investors@cantabilinternational.com
वेबसाइट: www.cantabilinternational.com

सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 29 व 33 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, अन्य बातों के साथ–साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त चौथी तिमाही (Q4) और वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (इंड एस के अनुसार) पर विचार, मंजूरी और अभिलेख पर लेने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल बैठक **गुरुवार, 23 मई, 2019 को दोपहर 12:30 बजे** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी–16, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110035 में आयोजित की जाएगी।

बोर्ड बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.cantabilinternational.com पर और बीएसई (www.bseindia.com) पर और एनएसई (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

इसक अलावा, सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2018 के प्रावधान, इनसाइडर द्वारा व्यापार का नियमन, निगरानी एवं रिपोर्ट के लिए कंपनी की आचार संहिति और व्यापार निषेध अवधि पर स्पष्टीकरण के संबंध में बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त परिपत्र दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो पहले ही 3 अप्रैल, 2019 से 23 मई, 2019 का परिणाम सार्वजनिक किए जाने के बाद 48 घंटों की समाप्ति तक बंद की गई है।

कृते **कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड**
हस्ता/–
पुनु महल
कंपनी सचिव सह प्रमुख–कानूनी

तिथि: 15 मई, 2019
स्थान: दिल्ली

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GST No.: 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर – 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, दूरभाष (पीबीएक्स) 011–24649610, 24648186
फैक्स नं. +91–(011) 24625308 ई–मेल: cswhudco@hudco.org, वेबसाइट: www.hudco.org

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए कंपनी के लेखा–परीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर विचार करने, अनुमोदन देने तथा रिकॉर्ड में लेने और वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर वित्त वर्ष 2018–19 के लिए शेयरधारकों को अंतिम लाभांश की अदायगी, यदि कोई है, की सिफारिश के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 24 मई, 2019, को आयोजित की जाएगी। साथ ही सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम 2015, यथा संशोधित, के अनुसरण में कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन–देन की व्यापारिक सुविधा 05 अप्रैल, 2019 से पहले से बंद है और यह सुविधा 27 मई, 2019 से पुन खुलेगी।

यह सूचना www.hudco.org, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

कृते हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता/–
हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 16.05.2019
स्थान: नई दिल्ली

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

सूचना

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियम 47 एवं अन्य लागू विनियमों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर

मार्च तिमाही में घट गए प्रवर्तकों के गिरवी शेयर

समी मोडक

भारतीय कंपनी जगत गिरवी शेयरों को लेकर अपना रुख बदलता नजर आ रहा है। मार्च 2019 की तिमाही में प्रवर्तकों के गिरवी शेयरों का प्रतिशत घटकर 2.83 फीसदी रह गया, जो इससे पिछली तिमाही में 2.98 फीसदी था। प्रवर्तकों के बकाया गिरवी शेयर 1.95 लाख करोड़ रुपये यानी बाजार पूंजीकरण का 1.38 फीसदी था, जो एक तिमाही पहले 1.47 फीसदी रहा था। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा, एस्सेल समूह और अनिल अंबानी की अगुआई वाले रिलायंस समूह के हालिया घटनाक्रम ने गिरवी शेयरों जरिए उधारी को लेकर प्रवर्तकों व लेनदारों को सतर्क कर दिया है।



उतार-चढ़ाव
कंपनियां, जिनके प्रवर्तकों के गिरवी शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई

कंपनी	मार्च 2019	बदलाव (%)

हुडको के बिना मैकडॉनल्ड्स-बरख्शी को निपटान की इजाजत नहीं

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 15 मई

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने बुधवार को कहा कि वह मैकडॉनल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-विक्रम बख्शी को अदालत से बाहर मामला निपटाने की इजाजत तब तक नहीं दे सकता जब तक कि 195 करोड़ रुपये पर बकाए मामले में हुडको के आवेदन पर विचार नहीं हो जाता। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

एनसीएलएटी के दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि बख्शी को कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड में अपनी

एनसीएलएटी ने सुझाव दिया कि बरख्शी हुडको के 195 करोड़ रुपये के बकाए का निपटान सीआरपीएल हिस्सा बिक्री से पहले करे

से पहले हुडको का बकाया चुकाना होगा। हुडको ने एनसीएलएटी में याचिका दाखिल कर कहा था कि बख्शी के स्वामित्व वाली कंपनी पर करीब 195 करोड़ रुपये बकाया है और यह डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास विचाराधीन है।

साल 2013 में हुडको ने बख्शी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जो 2012 में चेक के भुगतान न होने से जुड़ा था। हुडको ने कहा कि यह बकाया 75 करोड़ रुपये के पार निकल गया था। हुडको ने बख्शी के खिलाफ सरफेसी ऐक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान मैकडॉनल्ड्स इंडिया व बख्शी के वकीलों ने कहा, चूंकि मामला डीआरटी के पास लंबित है, ऐसे में इसका इस सौदे से कोई लेनादेना नहीं है, ऐसे में तय समय के मुताबिक निपटान को इजाजत दी जानी चाहिए। यह दलील हालांकि एनसीएलएटी ने ठुकरा दी, जिसने सुझाव दिया कि बख्शी को हुडको